राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़

क्र. 3075 मि.सं. / रा.स्व.भा.मि.ग्रा / पंग्राविवि / 2019::   रायपुर, दिनांक 18/03/2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव, प्रबंधन समिति,
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

विषयः— **181 महिला हेल्प लाईन में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत पारीकला से संबंधित शिकायत पर प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में।**

संदर्भः— **1.आपका पत्र क्रमांक 10192 / जि.प. / स्व.भा.मि.ग्रा / 2018 दिनांक 31 / 12 / 2018।**

2.इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2741 मि.स. / रास्वभामिग्रा / पंग्राविवि / 2018 दिनांक 29 अक्टूबर, 2018।

विषयांतर्गत लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ग्राम पंचायत पारीकला जिला राजनांदगांव में निर्मित शौचालयों के संबंध में 181 महिला हेल्प लाईन में दर्ज शिकायत के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से शिकायत के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवगत कराने का लेख किया गया था।

2/ तत्संबंध में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमाक 01 के माध्यम से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन में शौचालय निर्माण हेतु ग्राम पंचायत को प्रदत्त राशि , राशि के व्यय, राशि के संबंध में अनियमितता एवं अनियमितता के परिपेक्ष्य में की जा रही कार्यवाही के संबंध में लेख किया गया है। 181 महिला हेल्प लाईन में दर्ज शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य रूप से शौचालय निर्माण हेतु हितग्राहियों को आधी निर्माण सामाग्री के वितरण एवं हितग्राहियों द्वारा स्वंय से पैसे लगाकर शौचालय निर्माण पूर्ण किए जाने का लेख किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह शिकायत की गई है कि ग्राम पंचायत के ग्राम स्वच्छता समिति के खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध है किन्तु प्रोत्साहन राशि का वितरण हितग्राहियों को नहीं किया जा रहा है, उक्त बिन्दु पर आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में कोई लेख नहीं है।

3/ जांच प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया है कि विभिन्न हितग्राहियों द्वारा शौचालय निर्माण अधूरे होने के संबंध में बयान दर्ज किए गए हैं। कुछ हितग्राहियों यथा श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, पिता श्री छबिल दास, श्रीमती देवकुमारी यादव पति श्री नंदु यादव द्वारा उनके घरों में शौचालय नहीं होने की बात कही गई है।

Scanned by CamScanner

4/ अतः उक्त शिकायत का पुनः अवलोकन करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा चिन्हांकित किए गए उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं विशेषकर हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण नहीं किए जाने तथा जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा हितग्राहियों के घरों में शौचालय नहीं होने, शौचालयों के अधूरे निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

5/ आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में प्रकरण में अनियमितता के संबंध में संबंधित सरपंच एवं सचिव से वसूली किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र लिखे जाने का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त वसूली प्रकरण क्रमांक से अवगत करावें।

18/3/19

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ, रायपुर

पृ.क्र. 3076 मि.सं./रास्वभामिग्रा/पंग्राविवि/2019, रायपुर, दिनांक 18/03/19

प्रतिलिपिः–

कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18/3/19

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned by CamScanner